मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/6-3/1/3/99 भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 1999

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—संभागायुक्तों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के विरुद्ध लघु शास्ति अधिरोपित करने के साथ-साथ निलम्बन के अधिकार.

संदर्भ :—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक सी-6-5-97-3-एक, दिनांक 13 अगस्त, 1997 तथा इस विभाग का समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 15-2-1999.

उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1997 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1996 के नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (क) तथा (ख) के अनुसरण में समस्त संभागायुक्तों को अपने-अपने संभागों में पदस्थ राज्य शासन के सभी विभागों के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के (न्यायिक सेवा एवं पुलिस विभाग से भिन्न) शासकीय सेवकों के संबंध में उक्त नियम के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सशक्त किया गया था.

2. उक्त संबंध में यह प्रश्न उद्भूत हुआ था कि उक्त अधिसूचना दिनांक 13 अगस्त, 1997 क्या संभागीय आयुक्तों को उनके संभागों में पदस्थ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों को निलम्बित करने के लिये भी सशक्त करती हैं? पूर्व में परीक्षणोपरांत विभाग के संदर्भित ज्ञाप दिनांक 15-2-99 द्वारा यह अवगत कराया गया था कि उक्त अधिसूचना संभागायुक्तों को उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों को निलंबित करने के लिये सशक्त नहीं करती है.

3. उपरोक्त मुद्दे का पुनर्परीक्षण करने पर पाया गया कि चूंकि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी शासकीय सेवकों के मामले में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के खण्ड (1) से (4) तक की शास्तियां अधिरोपित करने के लिये संभागायुक्तों को अधिकृत किया गया है अतएव संभागायुक्त नियम 2 (डी) के अंतर्गत परिभाषित "अनुशासनात्मक प्राधिकारी" की परिधि में आ जाते हैं. इन नियमों के नियम 9 के अंतर्गत अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निलम्बन के अधिकार हैं. इस प्रकार संभागायुक्तों को उन शासकीय सेवकों के संबंध में निलंबन के अधिकार होंगे, जिसके संबंध में उन्हें नियम 10 के खण्ड (1) से (4) तक की शास्तियां अधिरोपित करने के लिये अधिकृत किया गया है.

4. उपर्युक्त के प्रकाश में सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15-2-99 निरस्त समझा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.